

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25321

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 2532]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2981(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निदेशक, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विशेष आर्थिक जोनों के विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त करती हुई सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को एतद्द्वारा निरस्त करती है।

> [फा. सं. एफ. 5/15/2010-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2010

S.O. 2981(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005, the Central Government hereby rescinds all previous notifications appointing Director, Software Technology Parks of India as Development Commissioner of Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zones.

[F. No. F. 5/15/2010-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secv.